संख्या–1439/पांच–5–2020,

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ, दिनांकः 09 जुलाई, 2020**

विषयः–कोविड–19 से हुई मृत्यु से संबंधित "डेथ ऑडिट पोर्टल" के परिचालन हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–449/71–4–2000, दिनांक 21 अप्रैल, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों को आच्छादित करते हुए 11 "डेथ आडिट समितियों" का गठन किया गया है। तद्क्रम में चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1029/पांच–5–2020, दिनांक 3 मई, 2020 के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में कोविड पाज़िटिव रोगियों के परिणामों यथा–स्वास्थ्य–लाभ होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति को फैसिलिटी मॉडयूल–hospitals.upcovid19tracks.in पर दर्ज किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उल्लेखनीय है कि "डेथ आडिट समिति" द्वारा कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु के कारणों का अंकेक्षण (Audit) एवं मृत्यु के कारकों का पता लगाना सुनिश्चित किया जाता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रकिया का उल्लेख करते हुए शासनादेश संख्या–734/71–4–2020, दिनांक 13 जून, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– उक्त तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त कोविड पाजिटिव रोगियों की मृत्यु के कारणों का अंकेक्षण एवं मृत्यु के कारकों का पता लगाये जाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक सुरक्षित मॉडयूल तैयार किया गया है, जिसका परिचालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जायेगा :–

(1) चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में भर्ती कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु (परिणाम) को इन इकाईयों के प्रभारियों द्वारा कोविड फैसिलिटी पोर्टल–hospitals.upcovid19tracks.in पर अपडेट किया जा रहा है।

(2) एक चिकित्सा इकाई से दूसरी चिकित्सा इकाई में स्थानान्तरित/सन्दर्भित कोविड पाज़िटव रोगी की पारगमन (Transit) के दौरान हुई मृत्यु (परिणाम) की स्थिति में, सन्दर्भित चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा इसे पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।

(3) जिन रोगियों की कोविड पाज़िटिव प्रास्थिति (Status) उनकी मृत्यु के पश्चात ज्ञात होती है, उन मामलों को संबंधित जनपद की प्रयोगशाला/जिला सर्विलांस अधिकारी

द्वारा पंजीकृत किया जायेगा और इसे चिकित्सा इकाई को आवंटित किया जायेगा जहां पर प्रास्थिति को अपडेट किया जायेगा।

(4) मुख्य चिकित्साधिकारी, अपने-अपने जनपदों में स्थित स्वास्थ्य इकाईयों में उक्त सभी मामलों में "डेथ ऑडिट" हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों को एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होंगें और उनके द्वारा तत्संबंधी स्कैन-अभिलेख पोर्टल- **hospitals.upcovid19tracks.in** पर अपनी यूज़र आई0डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपलोड किये जायेंगे। एक बार प्रेषित **(Submit)** करने के पश्चात, पोर्टल पर किन्ही अन्य अभिलेखों का अपलोड किया जाना संभव नहीं होगा।

(5) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित **(Submit)** कर दिये जाने पर, "डेथ आडिट समिति" के अध्यक्ष द्वारा उनसे संबंधित जनपद में स्थित चिकित्सा इकाई के स्कैन-अभिलेखों को अवलोकित किया जा सकता है, जो संबंधित चिकित्साधिकारी द्वारा अपलोड किए गये हैं।

(6) विभाग द्वारा "डेथ आडिट" की प्रगति की प्रास्थिति को वास्तविक-समय के आधार पर **(real-time basis)** ट्रैक किया जा सकता है।

कृपया कोविड-19 से संबंधित "डेथ आडिट" एवं "डेथ आडिट पोर्टल" के परिचालन संबंधी उक्त निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

8.7.20

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1439 / पांच-5-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

07.07.2020

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

07/07/2020
07.07.2020

D.P GO/COME-5

महत्वपूर्ण / Covid-19
संख्या– 734/71-4-2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में,

1. प्रमख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
2. कुलसचिव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी / निदेशक, आई0एम0एस0 बी0एच0यू0।
3. कुलसचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ / निदेशक, जे0एन0 मेडिकल कालेज, अलीगढ़।
4. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर / मेरठ / झांसी / प्रयागराज / कानपुर / आगरा
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2020

विषय–Covid-19 से हुई मृत्यु से संबंधित डेथ ऑडिट पोर्टल के परिचालन के सवंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–एमई–1–2020/1998 दिनांक 13.06.2020 (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों को आच्छादित करते हुए 11 "डेथ आडिट समितियों" के गठन से संबंधित चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–449/71–4–2000, दिनांक 21 अप्रैल, 2020 (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न) तथा शासनादेश संख्या–507/71–3–2000, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, (सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रति संलग्न) जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में कोविड पाज़िटिव रोगियों के परिणामों यथा–स्वास्थ्य–लाभ होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति को फैसिलिटी मॉडयूल–hospitals.upcovid19tracks.in पर दर्ज किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3– उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "डेथ आडिट समिति" द्वारा कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु के कारणों का अंकेक्षण एवं मृत्यु के कारकों का पता लगाया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में समुचित विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकिया को

Scanned with CamScanner

सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक सुरक्षित मॉडयूल तैयार कराया गया है, जिसका परिचालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है:–

(1) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में भर्ती कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु (परिणाम) को इन इकाईयों के प्रभारियों द्वारा कोविड फैसिलिटी पोर्टल–hospitals.upcovid19tracks.in पर अपडेट किया जा रहा है। यही कार्यवाही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में भर्ती कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु (परिणाम) के मामलों में उन इकाईयों के प्रभारियों द्वारा की जा रही है।

(2) एक चिकित्सा इकाई से दूसरी चिकित्सा इकाई में स्थानान्तरित/सन्दर्भित कोविड पाज़िटिव रोगी की पारगमन (transit) के दौरान हुई मृत्यु (परिणाम) की स्थिति में, सन्दर्भित चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा इसे पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।

(3) जिन रोगियों की कोविड पाज़िटिव प्रास्थिति (status) उनकी मृत्यु के पश्चात् ज्ञात होती है, उन मामलों को संबंधित जनपद की प्रयोगशाला/जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जायेगा और इसे चिकित्सा इकाई को आवंटित किया जायेगा जहां पर प्रास्थिति को अपडेट किया जायेगा।

(4) कोविड चिकित्सालय से संबंधित मेडिकल कालेज (राजकीय अथवा निजी) के प्रमुख उक्त सभी मामलों में "डेथ ऑडिट" हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों को एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होंगें और उनके द्वारा तत्संबंधी स्कैन–अभिलेख पोर्टल–hospitals.upcovid19tracks.in पर अपनी यूज़र आई0डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपलोड किये जायेंगे। एक बार प्रस्तुत (submit) करने के पश्चात पोर्टल पर किन्ही अन्य अभिलेखों का अपलोड किया जाना संभव नहीं होगा।

(5) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु (परिणाम) से संबंधित अभिलेखों के एकत्रीकरण एवं अपलोडिंग हेतु संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(6) निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में कोविड–19 रोगियों की मृत्यु की दशा में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक अभिलेख संकलित कर पोर्टल पर समय से अपलोड किये जायेगें।

(7) मेडिकल कालेजों के प्रमुख/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत (submit) कर दिये जाने पर, "डेथ आडिट समिति" के अध्यक्ष द्वारा उनसे संबंधित जनपद की चिकित्सा इकाई के स्कैन–अभिलेखों को अवलोकित किया जा सकता है, जो उस इकाई प्रमुख द्वारा अपलोड किए गये हैं।

(8) समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त, अध्यक्ष की लॉग–इन का प्रयोग कर के पोर्टल–hospitals.upcovid19tracks.in पर अपने निष्कर्ष (findings) अपलोड किए जा सकते हैं। लॉग–इन का विवरण पृथक से सभी संबंधितों को महानिदेशक कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

(9) विभाग द्वारा "डेथ आडिट" की प्रगति (progress) एवं लम्बित स्थिति (pendency) को वास्तविक–समय के आधार पर (real-time basis) ट्रैक किया जा सकता है।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०शासन ।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उ०प्र० लखनऊ।
6. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1/2 एवं 3, उ०प्र० शासन
7. गार्ड बुक

आज्ञा से

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

134/71-4-20

कोविड–19 / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग–4

संख्याःएमई–1 / 2020 / 1998 दिनांक : 13 जून, 2020

विषयः कोविड–19 से संबंधित "डेथ आडिट" एवं "डेथ आडिट पोर्टल" के परिचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश के सभी 75 जनपदों को आच्छादित करते हुए 11 "डेथ आडिट समितियों" के गठन से संबंधित चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या–449/ 71–4–2000, दिनांक 21 अप्रैल, 2020 तथा शासनादेश संख्या–507/ 71–3–2000, दिनांक 30 अप्रैल, 2020, जिसके द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में कोविड पाज़िटिव रोगियों के परिणामों यथा–स्वास्थ्य–लाभ होने अथवा मृत्यु होने की स्थिति को फैसिलिटी मॉडयूल–hospitals.upcovid19tracks.in पर दर्ज किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– "डेथ आडिट समिति" द्वारा कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु के कारणों का अंकेक्षण एवं मृत्यु के कारकों का पता लगाया जाना अपेक्षित है। शासन स्तर पर इस संबंध में समुचित विचारोपरान्त प्रश्नगत प्रकिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक सुरक्षित मॉडयूल तैयार कराया गया है, जिसका परिचालित निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है।

(1) चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में भर्ती कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु (परिणाम) कोइनइकाईयों के प्रभारियों द्वारा कोविड फैसिलिटी पोर्टल–hospitals.upcovid19tracks.in पर अपडेट किया जा रहा है। यही कार्यवाही, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में भर्ती कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु (परिणाम) के मामलों में उन इकाईयों के प्रभारियों द्वारा की जा रही है।

(2) एक चिकित्सा इकाई से दूसरी चिकित्सा इकाई में स्थानान्तरित/सन्दर्भित कोविड पाज़िटव रोगी की पारगमन (transit) के दौरान हुई मृत्यु (परिणाम) की स्थिति में, सन्दर्भित चिकित्सा इकाई के प्रभारी द्वारा इसे पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा।

(3) जिन रोगियों की कोविड पाज़िटिव प्रास्थिति (status) उनकी मृत्यु के पश्चात ज्ञात होती है, उन मामलों को संबंधित जनपद की प्रयागेशाला/जिला सर्विलांस अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जायेगा और इसे चिकित्सा इकाई को आवंटित किया जायेगा जहां पर प्रास्थिति को अपडेट किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

(4) कोविड चिकित्सालय से संबंधित मेडिकल कालेज (राजकीय अथवा निजी) के प्रमुख उक्त सभी मामलों में "डेथ ऑडिट" हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों को एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होगें और उनके द्वारा तत्संबंधी स्कैन–अभिलेख पोर्टल–hospitals.upcovid19tracks.in पर अपनी यूज़र आई0डी0 एवं पासवर्ड का उपयोग करके अपलोड किये जायेंगे। एक बार प्रस्तुत (submit) करने के पश्चात पोर्टल पर किन्ही अन्य अभिलेखों का अपलोड किया जाना संभव नहीं होगा।

(5) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन चिकित्सा इकाईयों में कोविड पाज़िटिव रोगियों की मृत्यु (परिणाम) से संबंधित अभिलेखों के एकत्रीकरण एवं अपलोडिंग हेतु संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायित्व होंगे।

(6) निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों में कोविड–19 रोगियों की मृत्यु की दशा में संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आवश्यक अभिलेख संकलित कर पोर्टल पर समय से अपलोड किया जायेगा।

(7) मेडिकल कालेजों के प्रमुख/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रस्तुत (submit) कर दिये जाने पर, "डेथआडिट समिति" के अध्यक्ष द्वारा उनसे संबंधित जनपद की चिकित्सा इकाई के स्कैन–अभिलेखों को अवलोकित किया जा सकता है, जो उस इकाई प्रमुख द्वारा अपलोड किए गये हैं।

(8) समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त, अध्यक्ष की लॉग–इनका प्रयोग कर के पोर्टल–hospitals.upcovid19tracks.in पर अपने निष्कर्ष (findings) अपलोड किए जा सकते हैं। लॉग–इन का विवरण पृथक से सभी संबंधितों से साझा किया जा चुका है।

(9) विभाग द्वारा "डेथ आडिट" की प्रगति (progress) एवं लम्बित स्थिति (pendency) को वास्तविक–समय के आधार पर (real-time basis) ट्रैक किया जा सकता है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि कोविड–19 से संबंधित "डेथ आडिट" एवं "डेथ आडिट पोर्टल" के परिचालन संबंधी आवशयक शासकीय आदेश जारी करने की कृपा करें।

भवदीय,

(के.के. गुप्ता)
महानिदेशक

Scanned with CamScanner

संख्या-449/71-4-2020

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. प्रमख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन
2. कुलसचिव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
3. कुलसचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
4. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5. कुलसचिव, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
6. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर / मेरठ / झांसी / प्रयागराज / कानपुर / आगरा
8. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2020

विषय- Covid-19 से हुई मृत्यु के संबंध में डेथ ऑडिट पॉलिसी

महोदय,

आप सहमत होगें कि विश्वव्यापी महामारी Covid-19 से ग्रस्त रोगियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने के कारणों की विस्तृत सूचना तथा आंकडों का संग्रहण किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है ताकि उसका उपयोग Covid-19 विषयक अनुसंधान एवं संभावित मृत्यु को रोके जाने में किया जा सके।

2- इसी के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा तैयार किए गये "Policy of Death Audit for the COVID-19 deceased in the State of U.P." की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए (संलग्नक-1) मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त का कियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाए:-

1. पॉलिसी में वर्णित डेथ ऑडिट कमेटी का गठन किया जाए। जिन राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थाओं में डेथ ऑडिट कमेटी का गठन किया जा रहा है, उन 11 चिकित्सा संस्थाओं के प्रमुख समिति के अध्यक्ष होगें तथा अपनी संस्थाओं में COVID-19 से ग्रस्त रोगियों की मृत्यु के मामले में ऑडिट के प्रभारी होगें।
2. प्रदेश के अन्य राजकीय मेडिकल कालेजों / संस्थाओं के प्रमुख अपने मेडिकल कालेज / संस्थान में COVID-19 से ग्रस्त रोगियों की मृत्यु के मामलों में बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित संस्थाओं को बिन्दु संख्या-4 के अनुसार समस्त संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगें।
3. प्रदेश के जनपदों में तैनात मुख्य चिकित्साधिकारी संबंधित जनपदों के स्वास्थ्य केन्द्रों / जिला चिकित्सालयों / मण्डलीय चिकित्सालयों तथा निजी मेडिकल कॉलेजों व निजी चिकित्सालयों से संबंधित अभिलेख बिन्दु संख्या-1 में उल्लिखित संस्थाओं को बिन्दु संख्या-4 के अनुसार उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगें।

Scanned with CamScanner

4. डेथ ऑडिट कमेटी जिन संस्थाओं में गठित है उनका विवरण तथा उनसे संवद्ध जिलों का वर्णन संलग्नक–2 में है।
5. डेथ ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रारूप पर (संलग्नक–3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ को पाक्षिक सूचनायें प्रत्येक माह की 05 व 20 तारीख को उपलब्ध करायी जाएंगी। महानिदेशक द्वारा इसे संकलित कर पाक्षिक रूप से शासन को माह की 10 व 25 तारीख को उपलब्ध करायी जाएगी (प्रथम रिपोर्ट 30 अप्रैल की 10 मई तक उपलब्ध करायी जाए)।

कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 लखनऊ।
5. चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1/2 एवं 3, उ0प्र0 शासन
6. गार्ड बुक

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक-1

Policy of Death Audit for the COVID-19 deceased in the State of U.P.

Introduction:

Death audit means a technique or process of quantitative death record analysis & compile the information pertaining to the professional activities of the hospital, as well as the qualitative analysis & evaluation of the data so collected. The aim is to analyse the circumstances which led to death of patients and what are the possible steps if taken might have prevented the death.

The Purpose for death audit in COVID 19 positive cases

1. To ascertain that the death is primarily due to COVID-19 Infection or due to other associated co morbid conditions.
2. Assist in litigations/compensation/insurance claim in deaths of COVID-19 deceased health care worker.

Therefore, death audit of COVID-19 Positive Cases is essential.

Constitution of Death Audit Committee (DAC): It is proposed to form DAC at Level 3 Covid Care Facilities shall exist i.e

1. BRD Medical College Gorakhpur
2. LLRM Medical College Meerut
3. MLB Medical College Jhansi
4. MLN Medical College Prayagraj
5. SGPGI Lucknow
6. UPUMS Safai Etawa
7. KGMU Lucknow
8. GSVM Medical College Kanpur
9. SN Medical College Agra
10. AMU , Aligarh
11. IMS, BHU , Varanasi

These Colleges shall also cater to all the districts in state of UP as per linkage.

Scanned with CamScanner

Constitution of the Death Audit Committee: the Death Audit Committee shall comprise of

Head of the Institute : Chairman
HOD Forensic Medicine : Member
HOD Medicine : Member
HOD Anaesthesia : Member
Nominated member from CMO Office: Member
Chairman may co-opt additional specialists on a case to case basis.

One of the members shall act as convener for organizing the meeting and preserve the minutes of meeting.

Methodology of the Death Audit:

1. **Proparatory Phase:**

- Look for the completeness, accuracy, & adequacy of components of the record of COVID 19 patients.
- Agreement or lack of agreement between
- provisional & final diagnosis
- the cause of death based on history, physical findings, investigations, Post Mortem Examination if done and sequence of the terminal events.
- Whether the final & pathological diagnosis and the cause of death agree;

2. **Analysis of Recorded Data:**

- The other phase of the death audit is the actual analysis of the recorded data of COVID 19 patients in the clinical records, the field reports pertaining to the professional work of the hospital & other related information.
  i) To detect possible errors in diagnosis, treatment, judgment or technique.
  ii) To check the statement of prognosis & results (discharge or death). If he agrees with the statement of the physician he will approve the record for indexing; if disagrees, the committee will:
    a) Confer with the attending physician & arrive at a decision.
    b) Return the records to the physician for elaboration/correction, or
    c) If the results are entirely out of line (confirmed by PM Examination), make necessary suggestions/recommendations so that the error is not repeated.

iv) After the auditor or the audit committee has finished with the record, it is sent to the medical record librarian for filing. Before filing, the observation of audit is

Scanned with CamScanner

transferred to the physician's index card, & also indexes for diseases & death are prepared.

Methodology of Medical and Death Audit:

1) **Criteria Development:** Criteria development for the audit depends on the Indications for admission, hospital services recommended for optimal care, range of length of stay & indications for discharge, & complications or cause of death.
2) Selection of Cases with Diagnosis: Diagnosed death due to COVID- 19.
3) Post Mortem report statement regarding the cause of death: IF necessary
4) Worksheet preparation
5) Case evaluation
6) Tabulation of evaluation
7) Presentation of reports

Venue for Meeting of Death Audit Committee: The office assigned by the head of the institute.

Periodicity of Meetings: Initially one meeting at a month, later it may be changed according to need.

Documents Required:

- Medical Record file of patient
- Death Summary report of diseased
- Type of death Accident: especially among health care worker
- Need for PM Examination?
- Identity proof of Deceased (Certified Copy)
- Identity proof of Claimant (Certified copy)
- Proof of relationship between the Deceased and the Claimant (Certified Copy)
- Laboratory Report certifying having tested positive for COVID-19 (in Original or Certified copy)
- Death Certificate (in Original) MCCD

Linkage of Districts: To be decided by Health Department

Scanned with CamScanner

संलग्नक, 2.

संलग्नक- 2.

District linkage with audit centres

S.no	Audit Centers	Districts
1	BRD Medical College, Gorakhpur	1.Deoria 2. Gorakhpur 3. Kushinagar 4. Maharajganj 5. Basti 6. Sant Kabir Nagar 7. Sidharthnagar
2	LLRM Medical College, Meerut	1. Bagpat 2. Gautambudhnagar 3. Ghaziabad 4. Hapur 5. Meerut 6. Saharanpur 7. Muzaffarnagar 8. Shamli 9. Amroha 10. Bijnor
3	MLB Medical College, Jhansi	1. Jalaun 2. Jhansi 3. Lalitpur 4. Banda 5. Chitrakoot 6. Hamirpur 7. Mahoba
4	MLN Medical College, Prayagraj	1. Prayagraj 2. Fatehpur 3. Kaushambhi 4. Pratapgarh 5. Mirzapur
5	SGPGI Lucknow	1. Lucknow 2. Badaun 3. Bareilly 4. Pilibhit 5. Shahjahanpur 6. Sitapur 7. Lakhimpur kheri 8. Raebareily

Scanned with CamScanner

6	UPUMS Safai Etawa	1. Etawah 2. Etah 3. Kasganj 4. Auraiya
7	KGMU Lucknow	1. Bahraich 2. Balrampur 3. Gonda 4. Shravasti 5. Ambedkar Nagar 6. Amethi 7. Barabanki 8. Ayodhya 9. Sultanpur 10. Hardoi
8	GSVM Medical College, Kanpur	1. Kanpur Dehat 2. Kanpur Nagar 3. Kannauj 4. Farrukhabad 5. Unnao
9	SN Medical College, Agra	1. Agra 2. Mathura 3. Firozabad 4. Mainpuri
10	AMU, Aligarh	1. Aligarh 2. Hathras 3. Bulandshahar 4. Rampur 5. Sambhal 6. Moradabad
11	IMS, BHU, Varanasi	1. Chandauli 2. Ghazipur 3. Jaunpur 4. Varanasi 5. Bhadohi 6. Mau 7. Ballia 8. Azamgarh 9. Sonbhadra

Scanned with CamScanner

<u>संलग्नक–3</u>

Death Audit का पाक्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

प्रत्येक जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व प्रत्येक मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्यों द्वारा प्रति सप्ताह प्रत्येक सोमवार से रविवार तक की सूचना प्रत्येक सोमवार को निम्नलिखित प्रारूप पर प्रेषित करेंगे:–

क0सं0		
	दिनांक.............. से दिनांक .... तक की स्थिति	
1	कुल मृत्यु	
2	प्रत्येक मृत्यु के मामले में	
	मृतक का नाम	
	मृतक की आयु	
	लिंग	
	चिकित्सालय का नाम, जहाँ मृत्यु हुई	
	भर्ती होने का दिनांक	
	मृत्यु का दिनांक	
	Death Audit हेतु सभी दस्तावेज उपलब्ध है?	
3	Death Audit हेतु मीटिंग की निर्धारित तिथि	
4	मृत्यु के कारणों का विवरण/विशेष टिप्पणी (Final Diagnosis)	

नोट

कमांक 03 को छोड़कर अन्य बिन्दुओं की सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी/राजकीय मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थाओं के प्रमुख द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्पश्चात डेथ ऑडिट कमेटी द्वारा कमांक–4 पर विश्लेषण कर टिप्पणी दी जायेगी।

Scanned with CamScanner

प्रेषक,

संख्या-507/71-3-2020

राम नेवास,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 लखनऊ/यू0पी0यू0एम0एस0, सैफई, इटावा/आई0एम0एस0, बी0एच0यू0 वाराणसी/ए0एम0यू0 अलीगढ़।
2. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0,लखनऊ/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।/आई0एम0आर0सी0,गोरखपुर/एस0एस0पी0एच0 एवं पी0जी0टी0आई0, नोएडा/नेशनल जालमा,कुष्ठरोग संस्थान, आगरा/जी0आई0एम0एस0,ग्रेटर नोएडा, आई0वी0आर0आई0, बरेली निदेशक, नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ बायोलाजिकल, नोएडा।
3. प्रधानाचार्य,राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी/प्रयागराज/कानपुर/गोरखपुर/मेरठ/आगरा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2020

विषय: कोविड-19 प्रयोगशालाओं में संचालित प्रक्रिया, चिकित्सा इकाईयों में भर्ती व्यवस्था एवं कोविड से संबंधित व्यक्तियों (संदिग्ध/संक्रमित) की जांच परिणामों को पोर्टल पर अंकित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) से संबंधित किसी भी व्यक्ति (संदिग्ध/संक्रमित) का पूर्ण जीवन-चक्र आच्छादित करने हेतु एक ऑनलाइन मंच (portal) विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सर्विलांस-अधीन व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं का वास्तविक-समय-प्रवाह (real time flow), जनपदों द्वारा एकत्र किए जा रहे सैम्पल, प्रयोगशालाओं में सीधे लिए गये सैम्पल, इन सैम्पल के जांच-परिणाम एवं कोविड पाजिटिव रोगियों की दैनिक अद्यतन प्रस्थिति (status) से संबंधित जानकारियां प्राप्त होंगी। उक्त पोर्टल कोरोना वायरस संक्रमण (कोविड-19) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने में सहायक होगा।

2- जनपदों द्वारा आई0सी0एम0आर0/राज्य आईडीएसपी प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर प्रदत्त प्रोटोकॉल के अनुरूप सैम्पल एकत्र किये जायेंगे और इन्हें जनपदों से सम्बद्ध प्रयोगशालाओं में भेजा जायेगा। जिला सर्विलांस अधिकारी (डी0एस0ओ0) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस व्यक्ति के सैम्पल प्रयोगशाला में भेजे गये हैं, वह पूर्व से www.upcovid19tracks.in पोर्टल पर पंजीकृत हैं और सैम्पल पोर्टल में लिंक की गयी प्रयोगशाला में ही भेजा गया है। जिस व्यक्ति का सैम्पल भेजा गया है उसका केस आई0डी0 (पोर्टल पर सृजित), आई0सी0एम0आर0 सैम्पल प्रपत्र में लाल रंग से अंकित की जायेगी, जिसे सैम्पल के साथ भेजा जायेगा ताकि प्रयोगशाला द्वारा केस आई0डी0 के आधार पर चिन्हांकन कर जांच-परिणाम दर्ज किए जा सकें। प्रयोगशाला द्वारा बिना केस आई0डी0 अंकित सैम्पल की जांच नहीं की जा सकेगी। जनपद द्वारा उस दिवस को किसी विशिष्ट प्रयोगशाला को भेजे गये सभी सैम्पल की लाइन-लिस्टिंग का प्रिंट-आउट पोर्टल (www.upcovid19tracks.in) से लेकर प्रयोगशाला को भेजा जायेगा।

<u>प्रदेश में कोविड-19 सैम्पल जॉच हेतु संचालित प्रयोगशाला में प्रकियाओं का विवरण -</u>

3- प्रदेश की प्रत्येक कोविड-19 प्रयोगशाला हेतु लॉगइन एवं पासवर्ड सहित एक ऑनलाइन लैब-मॉडयूल (www.labs.upcovid19tracks.in) सृजित किया गया है, जिसे प्रत्येक प्रयोगशाला के संबंधित नोडल अधिकारी को प्रेषित किया गया है। सभी प्रयोगशालाओं द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :-

(क) जनपदों द्वारा प्रेषित किये गये सैम्पल का प्रयोगशालाओं द्वारा पोर्टल पर अवलोकन किया जा सकेगा।

(ख) प्रयोगशालाओं के लिए यह प्रावधान होगा कि वे एक बार में भौतिक रूप से प्राप्त न हुए सैम्पल को अचयनित कर उनकी वास्तविक प्राप्ति की तिथि व समय अंकित कर सकेंगे।

Scanned with CamScanner

(ग) हाई–प्रायोरिटी सैम्पल (कोविड–19 रोगी के सम्पर्क में आये लक्षणों वाले व्यक्तियों के सैम्पल, हॉट–स्पॉट क्षेत्रों के सैम्पल, कोविड–19 के कार्य में नियुक्ति चिकित्सक एवं पैराचिकित्सक कर्मी के सैम्पल एवं सीवियर एक्यूट रेस्पेरिटरी इन्फेक्शन के सैम्पल) को प्रयोगशाला भेजते समय लाल रंग के मार्कर पेन से 'एच0पी0' मार्क करें तथा लाल रंग का स्टीकर चस्पा करें ताकि इन हाई प्राईरिटी सैम्पल को प्राथमिकता के आधार पर प्रयोगशाला द्वारा जॉच कर शीघ्रातिशीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध करायी जा सके। सैम्पल नियमानुसार ट्रिप्पल लेयर पैकिंग में भेजे जाए तथा एस0आर0एफ0 फार्म पूर्णतया भरे हुये हो।

(घ) केस आई0डी0 के साथ प्राप्त सैम्पल की जांच पूर्ण होने पर, संबंधित प्रयोगशाला द्वारा जांच परिणाम एवं अन्य अपेक्षित निम्न विवरण सीधे पोर्टल पर अधुनान्त (update) जिये जा सकेंगे अथवा प्राप्त सैम्पल की एक्सेल शीट पोर्टल से डाउनलोड करके अधुनान्त एक्सेल शीट पोर्टल पर पुनः अपलोड की जा सकेगी।

(ड) प्रत्येक सैम्पल के सापेक्ष पोर्टल/एक्सेल शीट पर निम्नलिखित सूचनाओं की प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है:–

- (i) सैम्पल संतोषजनक – हाँ/नहीं।
- (ii) जांच–परिणाम की तिथि एवं समय (दिनांक/माह/वर्ष), (कृपया सुनिश्चित करें कि ये (माह/दिनांक/वर्ष) के प्रारूप में न हो)।
- (iii) प्रयागशाला जांच परिणाम – धनात्मक/ऋणात्मक/अनिश्चित/दुबारा सैम्पलिंग
- (iv) प्राप्त सैम्पल की लाइन–लिस्टिंग रिपोर्ट, व्यक्ति लक्षण आंकडे (person symptoms data) और आई0सी0एम0आर0 एकत्रीकरण आख्या (ICMR aggregation report) भी पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है।
- (v) जनपदों से कोई अनुरोध प्राप्त होने पर, प्रयोगशाला द्वारा केवल पोर्टल से डाउनलोड की गयी एक्सेल शीट ही भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। इसे डी0एस0ओ0/डी0एम0 लॉगइन से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- (vi) यह भी निदेशित किया जाता है कि सी0एम0ओ0/डी0एस0ओ0 के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत जैसे विश्वविद्यालयों/मेडिकल कालेजों/संस्थानों से प्राप्त किन्ही सैम्पल की प्रयोगशाला द्वारा की जा रही जांच को भी पोर्टल पर अंकित किया जायेगा। इसके लिए लैब–मॉडयूल में "Add Case" पर क्लिक करके उस व्यक्ति हेतु नया पंजीकरण किया जायेगा। उस व्यक्ति का पंजीकरण हो जाने पर, उसके जांच परिणाम उपर्युक्तानुसार पोर्टल पर अद्यतन किये जायेंगे।

(ड.) लैब–मॉडयूल पर "केस आई0डी0 सर्च आप्शन" का प्रयोग करके सैम्पल को खोजा जा सकता है।

<u>स्वास्थ्य इकाईयों में भर्ती कोविड पाज़िटिव रोगियों की ट्रैकिंग हेतु फैसिलिटी मॉडयूल–</u>

4– डी0एस0ओ0 द्वारा कोविड से संक्रमित रोगी को उस चिकित्सा इकाई के लिए आंवटित किया जायेगा जहां पर रोगी को डी0एस0ओ0 पोर्टल पर भर्ती किया गया है। डी0एस0ओ0 द्वारा रोगी के चिन्हित किये जाने पर, रोगी का विवरण संबंधित स्वास्थ्य इकाई में फैसिलिटी मॉडयूल (www.hospitals.upcovid19tracks.in) पर उपलब्ध हो जायेगा। स्वास्थ्य इकाईयां (चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन एल2 एवं एल3 इकाईयां), फैसिलिटी यूज़र आई0डी0 एवं पासवर्ड का प्रयोग करके प्रत्येक भर्ती रोगी, भले ही वह किसी भी जनपद से संबंधित हो, की प्रस्थिति दैनिक आधार पर अद्यतित करने हेतु उत्तरदायी होंगी। डी0एस0ओ0 पोर्टल पर संबंधित रोगी की अद्यतन की गयी प्रस्थिति स्वचालित रूप से प्रदर्शित होगी। चिकित्सा इकाई का प्रभारी रोगी की दैनिक आधार पर अद्यतन प्रविष्टि अंकित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

<u>रोगियों की प्रस्थिति का दैनिक अद्यतनीकरण</u> –

(क) चिकित्सा शिक्षा विभाग की एल2 एवं एल3 चिकित्सा इकाईयों में भर्ती प्रत्येक रोगी की प्रस्थिति पोर्टल में "ऑनलाइन फैसिलिटी" मॉडयूल पर ही निम्नानुसार अद्यतित की जायेगी।

- (i) स्वस्थ्य होने वाला/डिस्चार्ज (Recovered/Discharged)
- (ii) अन्य चिकित्सा इकाई को सन्दर्भित – उस चिकित्सा इकाई का चयन करें जहां पर रोगी को सन्दर्भित किया गया।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

(iii) मृतक (मृत्यु)
(iv) भर्ती रोगी (In-patient)
(v) ऑक्सीजन पर भर्ती रोगी
(vi) वेंटीलेटर पर भर्ती रोगी (जहां लागू हो)

(ख) उपरोक्त वर्णित तीन श्रेणियों के भर्ती रोगियों की स्थिति में, रोगी के सिम्पटोमैटिक अथवा असिम्पटोमैटिक होने के संबंध में भी प्रस्थिति अद्यतन की जायेगी।

(ग) चिकित्सा इकाई में रोगियों से एकत्र किये गये किसी भी सैम्पल को पहले पोर्टल पर चिकित्सा प्रभारी द्वारा अद्यतित करते हुए प्रयोगशाला को चिन्हित किया जायेगा जहां पर इसे भेजा जायेगा। रोगी की केस आई0डी0 को सैम्पल पर स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जायेगा और इन सैम्पल को संबंधित प्रयोगशाला में भौतिक रूप से भेजने से पूर्व पोर्टल के माध्यम से भेजा जायेगा, और तब प्रयोगशाला के लिए उपरिवर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कोविड–19 प्रयोशालाओं के मध्य उक्त पोर्टल पर आंकड़ो के अंकन हेतु उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे। प्रयोगशालाओं एवं एल2 व एल3 चिकित्सा इकाईयों के संबंधित कार्मिकों को "लैब/फैसिलिटी मॉडयूल" पर समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण में प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(राम नेवास)
विशेष सचिव

संख्या–507(1)/71–3–2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. निदेशक (संचारी रोग), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
8. राज्य सर्विलेंस अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
12. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
13. प्रभारी, कोविड–19 प्रयोगशाला उ0प्र0, के0जी0एम0यू0 लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ, आई0एम0एस0, बी0एच0यू0, वाराणसी, एल0एल0आर0एम0 मेडिकल कालेज मेरठ, जे0एन0 मेडिकल कालेज, ए0एम0यू0 अलीगढ, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर, यू0पी0आर0आई0एम0एस0, सैफई इटावा, राजकीय इन्स्टीयूट आफ मेडिकल साइंसेज, ग्रेटर नोयडा, एस0एन0मेडिकल कालेज आगरा, जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर, आर0एम0एल0 इन्स्टीटयूट लखनऊ, आर0एल0बी0एम0 मेडिकल कालेज झांसी, इण्डियन वेटनरी रिसर्च इन्स्टीटयूट, बरेली, एम0एल0एन0 मेडिकल कालेज प्रयागराज।
14. प्रभारी, समस्त कोविड–19, चिकित्सालय उत्तर प्रदेश।
15. जिला सर्विलेंस अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 उत्तर प्रदेश।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनुसचिव

Scanned with CamScanner